

2127

प्रारूप -18

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 229/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाछोली-विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार कोठिया डौनी होते हुए विशालकोट की ओर 3 किमी. मोटर मार्ग (3.00किमी.)(0.900है0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


जन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन-प्रभाग


जन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन-प्रभाग


तहसीलदार
रानीखेत (उत्तरखण्ड)


तहसीलदार
रानीखेत (उत्तरखण्ड)


संयुक्त सचिव
रानीखेत


अधीनस्थ अधिकारी
अल्मोड़ा


प्रमाणित
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा